समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–37 / 2020–21

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो

–बनाम्–

कौशल किशोर यादव एवं अन्य

–::आदेश::–

12.01.2021

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संधारित कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक–456 / आ0 दिनांक–29.04.2020 द्वारा बी0एस0सिटी थाना काड नं0–107 / 2020, दिनांक–28.04.2020 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–7 ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत जब्त किए गए 5515 (पॉच हजार पॉंच सौ पंद्रह) लीटर ब्लू रंग का किरासन तेल अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री श्याम नाथ पाठक, पणन पदाधिकारी, बी0एस0सिटी के द्वारा दिनांक–29.04.2020 को प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–28.04.2020 को बी0एस0सिटी थाना के अन्तर्गत जोशी कॉलोनी लकड़ाखंदा स्थान पर खड़े मालवाहक टैम्पू JH09AC-0463, JH01B-6878 एवं जोशी कॉलोनी, लकड़ाखदा स्थित रामानन्द यादव के घर से कालाबाजारी हेतु रखे गए कुल 30 ड्रम में 5515 लीटर ब्लू रंग का किरासन तेल जब्त करते हुए टेम्पू चालक कौशल किशोर यादव उर्फ लालबाबु पिता–किसुन यादव एंव कमलेश कुमार पिता–किसुन राय, लकड़ी गोला, बी0एस0सिटी एवं उपरोक्त चालक के बयान पर रामानन्द यादव तथा शोभा कान्त झा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 के अन्तर्गत दिनांक–28.04.2020 को प्राथमिकी दर्ज की गयी।

उक्त के क्रम में वाद पर सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता को सुना गया एवं द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल कारण–पृछा को देखा।

राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दी गई कि विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत किरासन तेल अधिक मुनाफा कमाने हेतु कालाबाजारी करने के लिए अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उन्होंने जब्त किरासन तेल को राज्य सरकार के हित में राज्यसात करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी ने अपने कारण–पृछा में उल्लेख किया है कि वह टेम्पु भाड़ा पर चलाते है एवं अपना जीवन यापन करते है। उनका यह भी उल्लेख किया गया है कि जप्त किरासन तेल से उनका कोई संबंध नहीं हैं।

सरकारी अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजात के आधार पर स्पष्टतः उक्त थाना कांड संख्या के अन्तर्गत जब्त कुल 5515 लीटर ब्लू रंग का किरासन तेल कालाबाजारी करने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6(ए) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अनियमितता के कारण जब्त 5515 लीटर ब्लू रंग का किरासन तेल को राज्य सरकार के हित में राज्यसात (Confiscate) करता हूँ।

तदनुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

17.01.24	17.01.24
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।	समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.23 12:39:11 +05:30
Location: 192.168.91.234